17वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर बोलते हुए

मैं आशा करता हूँ कि हमारे ये नए सांसद संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में नए विचारों, ऊर्जा और उत्साह का समावेश करेंगे। हो सकता है कि कई नए सांसदों को राज्य विधानमंडलों में सदस्य के रूप में विधायी अनुभव हो, फिर भी कई सदस्य ऐसे भी होंगे जिनके लिए यह विधायी अनुभव पूर्णतः नया होगा।

इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य हमारी संसदीय प्रणाली के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं, संसदीय प्रक्रियाओं, कार्य संचालन के नियमों, संसदीय पद्धतियों और उपायों से परिचित कराना है ताकि आपको एक प्रभावी सांसद के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता मिल सके। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी को एक सांसद की भूमिका और संसदीय लोकतंत्र के आदर्शों से अवगत कराया जाएगा तथा विभिन्न मुद्दों को सभा में उठाने और विधायी तथा समिति कार्य में भागीदारी करने हेतु समय के सदुपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। मैं इस प्रकार के प्रबोधन कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमसे की जाने वाली अपेक्षाओं के बारे में कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा।

सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि संसद सदस्य होना कितना महत्वपूर्ण है और कितनी जिम्मेदारी वाला कार्य है। निर्वाचित प्रतिनिधि बनना एक विशेषाधिकार भी है और लोगों की सेवा करने के लिए मिलने वाला एक सम्मान भी है परन्तु इस विशेषाधिकार और सम्मान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमें मिलती है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में, एक निर्वाचित जनप्रतिनि की भूमिका के दो पहलू होते हैं। जहां एक ओर वह अपने मतदाताओं और अपने विधानमंडलों के बीच की एक कड़ी का कार्य करता है तो वहीं दूसरी ओर वह लोगों तथा सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। यह तो हमारी भूमिकाओं का संस्थागत पहलू हुआ। इसके अलावा, एक नेता के रूप में हमारी दूसरी भूमिका होती है, जिससे लोग अपेक्षाएं रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी भूमिकाएं कई तरह की होती हैं। हम जनप्रतिनिधि भी होते हैं। सभा में विधान का निर्माण करने वाले भी होते हैं। एक दल के सदस्य होते हैं और समाज में एक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं।

आज हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए, हमारे तथा सभा के समक्ष अक्सर कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं तथा उसके सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन सभी चुनौतियों का आकलन करें और समाज के समक्ष आने वाली समस्याओं का व्यावहारिक समाधान संसदीय संस्थाओं के मानदंडों के भीतर ढूंढने की पहल करें।

कई बार तो हमें दल के सदस्य और केवल एक विधान मंडल के सदस्य के रूप में कार्य करना पड़ता है और कभी - कभी दोनों भूमिकाएं अलग अलग रूप से भी निभानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में समस्याओं और मुद्दों के बारे में हमारी सोच, समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होनी चाहिए क्योंकि इनके विकास में ही समाज का विकास निहित है।

मूल रूप से विधान मंडलों का कार्य शासन करना नहीं होता बल्कि वे कानून बनाते हैं, बजट की जाँच और अनुमोदन करते हैं और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों की निगरानी करते हैं। हम सबको यह बात

ध्यान में रखनी चाहिए कि विधायी अधिनियमों का आशय तात्कालिक मुद्दों का समाधान करना नहीं, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालीन आधारभूत ढांचा तैयार करना होता है।

एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सुनिश्चित करना हमारा प्राथमिक दायित्व है कि सरकार की नीतियाँ लोगों की वास्तविक माँगों और आकाँक्षाओं के अनुसार बनाई जाएं। एक प्रभावी सांसद लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को सभा में उठाने और उनकी शिकायतों के सकारात्मक समाधान के लिए हर अवसर का उपयोग करता है।

एक सांसद का अपने मतदाताओं के साथ एक पवित्र रिश्ता होता है, परन्तु कई बार हमें एक सांसद के रूप में व्यापक राष्ट्रहित के साथ - साथ क्षेत्रीय हित को प्राथमिकता देनी पड़ती है। हमसे संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। **एक ऐसा सांसद जो राष्ट्र और समाज के कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहता है, वह अपने मतदाताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभा पाने की स्थिति में रहता है तथा स्थानीय और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन प्रभावी तरीके से कर पाता है।**

संसदीय लोकतंत्र में, कार्यपालिका शासी निकाय का अंग होने के साथ – साथ विधायिका का भाग भी होती है। इस संबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका का यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई भी विधायी कानून तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला कोई तंत्र न हो। इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए, विधायिका सभा के नियमों से चलती है, प्रश्नों और विभिन्न संकल्पों सहित अनेक संसदीय साधनों का उपयोग करती है तथा समितियों की एक व्यापक प्रणाली के माध्यम से जाँच का कार्य करती है। वास्तव में, प्रश्न काल, प्रश्नों को पूछने और कार्यपालिका के कार्यों की जवाबदेही तय करने तथा मंत्रियों या विभागों से आश्वासन प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

प्रश्न काल में दिए जाने वाले उत्तर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सबसे अधिक प्रामाणिक स्रोत होते हैं। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने इस अवसर का उपयोग 500 प्रश्न पूछकर किया था, जो कि एक रिकॉर्ड है।

मैं यह भी चाहूंगा कि प्रश्न उठाते समय आप सभी संसद सदस्य विषय को संक्षिप्त एवं प्वाइंट टू प्वाइंट रखें ताकि हम संसद के समय का अधिकाधिक सदुपयोग कर सकें। हमारी यह भी कोशिश रहेगी कि प्रश्न काल के दौरान सभी तारांकित प्रश्न पूछे जा सकें।

मेरा यह मानना है कि सदस्यों को छोटे और सटीक प्रश्न पूछने चाहिए और मंत्रियों को सारगर्भित उत्तर देने चाहिए। इससे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाले समय में कमी आएगी और सभा में राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के और अधिक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता हूँ कि आप इस उपलब्ध अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाएं और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना सहयोग दें।

लोक सभा अध्यक्ष के रूप में मेरी कोशिश रही है कि मैं अधिकाधिक सांसदों को शून्य काल में बोलने का मौका दूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने शून्य काल के दौरान कुल 130 नवनिर्वाचित सांसदों को बोलने का मौका दिया है और मेरी कोशिश रहेगी कि इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को शून्य काल में अपनी बात रखने का मौका मिले।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता सभा में सार्थक और अनुशासित तरीके से वाद – विवाद पर निर्भर करता है। संसद सार्थक संवाद, स्वस्थ वाद - विवाद, गहन चर्चा, असहमति एवं विरोधी विचारों के प्रकटीकरण के लिए है, न कि व्यवधान उत्पन्न करने के लिए। इन चर्चाओं और विचार विमर्श का उद्देश्य राष्ट्रहित में सकारात्मक नीतियां बनाना होता है। इसके लिए अनेक नियम, परिपाटियां और प्रक्रियात्मक उपाय विकसित व सृजित किए गए हैं।

इनमें सबसे प्रमुख बात यह है कि सभा में शालीनता बनाए रखी जाए और अध्यक्षपीठ और साथी सांसदों के प्रति सम्मान की भावना रखी जाए। चूंकि अध्यक्षपीठ सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों की संरक्षक होती है, अतः अध्यक्षपीठ का सम्मान न करना सभा का सम्मान न करने के समान है। यह अत्यंत आवश्यक है कि सदस्य प्रक्रिया और अन्य संसदीय पद्धतियों का पालन करें तथा अध्यक्षपीठ के विनिर्णयों और निदेशों का अनुपालन करें।

सभा में अपने विचार रखते समय या चर्चा में हस्तक्षेप करते समय आपको आबंटित किए गए समय के भीतर अपनी बात समाप्त करना दर्शाता है कि आप सभा के समय का सम्मान करते हैं। सभा में सारगर्भित और सटीक रूप से अपनी बात रखने से आपके प्रति अध्यक्षपीठ का विश्वास बढ़ता है और साथी सदस्यों की दृष्टि में आपका सम्मान भी बढ़ता है।

हमारा लक्ष्य समग्र रूप से वाद विवाद और इससे बनने वाले विधानों की गुणवत्ता को बढ़ाना और आमजन की दृष्टि में संसदीय संस्थाओं की छवि को बेहतर बनाना होना चाहिए। इस प्रक्रिया में, सभा के नियमों, संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं, प्रश्नकाल और संकल्पों आदि सहित विभिन्न संसदीय साधनों की विस्तृत जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है।

मेरा यह मानना है कि जो खिलाड़ी खेल के नियमों की बेहतर जानकारी रखते हैं, वे आसानी से खेल में जीत हासिल कर लेते हैं। नए सदस्यों को नियमित रूप से सभा में उपस्थित होने से अनेक लाभ मिलते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को जानने के लिए उनके विचारों को सुनने की आदत डालना भी आवश्यक है ताकि हम अलग – अलग विचारों के प्रति सम्मान की भावना रख सकें। इस तरीके से वाद विवाद और दूसरों के विचारों का प्रतिवाद करके हम एक सर्वसम्मति पर पहुँच सकते हैं और समुचित नीतियों का निर्माण कर सकते हैं।

एक अन्य पहलू पर ज़ोर दिया जाना आवश्यक है कि सदस्यों को विभिन्न विषयों की व्यापक समझ रखने के साथ – साथ अपनी रुचि के कुछ विशिष्ट विषयों में महारत भी हासिल करनी चाहिए। यह ज्ञान सदस्यों द्वारा सभा में अपनी बात रखते समय, वाद - विवाद में भाग लेते समय और विशेष रूप से समितियों के कार्य में अपना योगदान देने में अवश्य ही उनके काम आएगा और उनके कार्य में परिलक्षित होगा। यह बात यह दर्शाती

है कि सदस्यगण अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में कितने समय का निवेश कर रहे हैं और कितना प्रयास कर रहे हैं।

आज के बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य में, जिसमें सूचना का तेजी से प्रसार हो रहा है और ज्ञान का दायरा बढ़ रहा है, एक सांसद को कई विषयों, जैसे - अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, राष्ट्रीय एजेंडे की प्रमुख बातों के बारे में, समाज और विश्व की ज्वलंत समस्याओं के बारे में तथा कई अन्य विषयों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। हम सब इस बात से अवगत हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास से संचार के तरीकों में परिवर्तन आ रहा है और संसदों तथा संसद सदस्यों को अपने मतदाताओं से बेहतर ढंग से जुड़ने और उन्हें विधायी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए उपलब्ध अवसर बढ़ रहे हैं। इस समय पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया की माँग है कि हम प्रभावी संचार के लिए 'स्मार्ट टूल्स' का प्रयोग करें।

सदस्यगण 'मेम्बर्स पोर्टल' के माध्यम से सभी विधायी कार्यों से संबंधित और सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे संसदीय कामकाज में काफी सहायता मिल जाती है। ऐसी सूचना मोबाइल उपकरणों के माध्यम से लोक सभा कक्ष से भी मिल सकती है। सचिवालयीय सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं; क्योंकि सचिवालय को भी समय के साथ - साथ डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा रहा है।

इन सभी उपलब्ध अवसरों के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जानकारी प्राप्त करने की यह सहजता और सुगमता लाखों - करोड़ों लोगों को भी प्राप्त है, जिससे हमारा कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है; क्योंकि हमें भी तेजी से बदलते घटनाक्रम की जानकारी रखनी पड़ती है और तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है।

इस समय हमारे द्वारा किए गए कार्यों के बारे में शीघ्र जानकारी उपलब्ध कराने और जनता से जुड़े मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं जवाबदेही के मूल्यांकन के प्रमुख उपाय बन गए हैं। एक प्रभावी सांसद बनने के लिए, हमें मास मीडिया के टूल्स को अपनाना होगा, जो कि आमजन को भी उपलब्ध है और उन्हें प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा ताकि हम सार्थक तरीके से अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।

मैं समझता हूँ कि आगामी सत्रों के दौरान आपको हमारे कुछ विशिष्ट सांसदों से संवाद करने और उनके सुदीर्घ और व्यापक अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा। मुझे माननीय सदस्यों से उन विषयों के बारे में सुझाव प्राप्त करके प्रसन्नता होगी जिन पर वे विशेषज्ञों की राय जानना चाहते हैं ताकि ऐसी सूचना और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से सदस्यों को विधि निर्माण, समिति संबंधित कार्य और नीति निर्माण में सहायता मिल सके।

मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए यह प्रबोधन कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आप सभी को अपनी शुभकामना देता हूँ कि लोगों की सेवा हेतु किए जाने वाले आपके सभी प्रयास सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस प्रबोधन कार्यक्रम का सहर्ष उद्घाटन करता हूँ।

17वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम

------

4 जुलाई 2019

मुझे लोक सभा सचिवालय के संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो (बी पी एस टी) द्वारा आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन आप सब का स्वागत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

आशा करता हूं कि कल उद्घाटन सत्र के दौरान विभिन्न विशिष्टजनों द्वारा किए गए संबोधनो से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। 'प्रभावी सांसद कैसे बनें', संसदीय प्रश्न और सभा में मामलों को उठाने के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रक्रियात्मक साधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज आप संबोधन सुनने वाले हैं। एक प्रभावी सांसद बनने के लिए इन विषयों की व्यापक समझ होना अत्यंत आवश्यक है।

मित्रो, आज दो उत्कृष्ट सांसद, श्री अमित शाह जी और श्री नितिन गडकरी जी विषय विशेषज्ञों के रुप में अपने विचार रखेंगे, जिनका विधायक और मंत्री के रुप में सुदीर्घ अनुभव रहा है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपके साथ संवाद करने के लिए समय निकाला है। वे अपने अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए यह संवाद प्रक्रिया अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी।

17वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में भाषण देते हुए

मित्रो, जैसाकि आप सब जानते हैं कि हमारी शासन व्यवस्था में संसद से बड़ी कोई और संस्था नहीं है। विधायिका की प्रभावकारिता और कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने संसदीय कार्य को कितनी गंभीरता से करते हैं और हमारा आचरण संसद सदस्यों के रुप में कैसा रहता है। एक प्रभावी सांसद बनने के लिए एक सदस्य में कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं होनी चाहिए जैसे कि – ज्ञान, कठिन परिश्रम और सभा में उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने की क्षमता इनमें से कुछ हैं। सदस्यों का चरित्र बेदाग होना चाहिए, उनमें असीम उत्साह होना चाहिए और उनका आचरण सदाचारपूर्ण होना चाहिए। नए सदस्यों को विशेष रुप से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सभा में प्रतिदिन उपस्थित रहने मात्र से ही सीखने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो जाता है।

वरिष्ठ सदस्यों की कार्यशैली को देखकर आप विधायी कार्यकरण की बारीकियों को सीख सकते हैं और समय के साथ आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का तरीका भी विकसित कर सकते हैं। इससे आप को सभा में अपने मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में सहायता प्राप्त होगी।

आपने इस सभा में देखा होगा कि कुछ माननीय सदस्य नारे लगाते हैं या जब अन्य सदस्य बोल रहे होते हैं तो वे अपनी बात कहने लगते हैं। मैं सभा को व्यवस्थित रूप से चलाने का पूरा प्रयास करता हूं। न तो मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूं और न ही आप छात्र हैं कि मैं हर बार आपको टोकता रहूं कि आप शोरगुल न मचायें या अन्य सदस्यों के भाषण में व्यवधान न डालें। सभा को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। इस में मुझे आपका सहयोग और समर्थन चाहिए। यदि आपके पास सभा से संबंधित कोई मामला है जो आप मेरी जानकारी में लाना चाहते हैं तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। मेरे दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं।

सदस्यों की एक सांसद के रूप में प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उनका प्रबोधन और बौद्धिक विकास अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इससे विधानमंडलों का कार्यकरण प्रभावित होता है। इसके लिए सदस्यों को नियमों, संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक योजना में संसद की स्थिति तथा संसदीय परंपराओं, परिपाटियों और रीतियों की अच्छी जानकारी और समझ होनी चाहिए।

मित्रो, सभा में मामलों को उठाने के लिए कई प्रभावी प्रक्रियात्मक उपाय हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपमें से अधिकांश सदस्य सभा के कार्यकरण में गहरी रूचि ले रहे हैं। मैं इनमें से कुछ उपायों पर प्रकाश डालूंगा। संसदीय प्रश्न सदस्यों के पास एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वे कार्यपालिका से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सतर्क रख सकते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, अल्पकालीन चर्चा इनमें से कुछ अन्य साधन हैं। श्री गडकरी भी प्रक्रियात्मक मुद्दों पर विस्तार से बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उनके गहन अनुभव से लाभ उठाएंगे।

मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि पूरा देश आपको देख रहा है। इसलिए आप लोग ऐसा काम करें जो आपके पद के अनुकूल हो। आप सब इस महान संस्था की मर्यादा को भी ध्यान में रखें जिसे हमारे योग्य पूर्ववर्तियों ने इतना संभाल कर रखा है।

मैं एक बार फिर इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं।